

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक /10/2017

क्र. एफ 20-8/2013/बी-ग्यारह: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility) का फेसिलिटेशन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करता है:-

मध्यप्रदेश में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के गतिविधियों को फेसिलिटेट करने एवं उनके क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, एवं उसके अंतर्गत निर्मित कम्पनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 एवं समय-समय पर जारी किये गये स्पष्टीकरण के अध्याधीन रहते हुए यह दिशा निर्देश (Guidelines) जारी किए जा रहे हैं।

2. इसका उद्देश्य कार्पोरेट सामाजिक दायित्व में सभी हितबद्ध पक्षकों (Stakeholders) की भागीदारी सुनिश्चित करना एवं समाज को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है।
3. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व को निर्वहन के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच सौ करोड़ रुपये या अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या एक हजार करोड़ रुपये या अधिक के आवर्त वाली या पांच करोड़ रुपये या अधिक के शुद्ध लाभवाली प्रत्येक कम्पनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गये कम्पनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करती है।
4. कम्पनी द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन को व्यवस्थित करने के लिये भारत सरकार द्वारा अधिसूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं 469 के अधीन "कम्पनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014" जारी किये गये हैं, जो एक अप्रैल, 2014 से लागू हो गये हैं। इन नियमों के तहत प्रत्येक कम्पनी को कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की बाध्यता है तथा इस दायित्व का निर्वहन प्रत्येक कम्पनी में गठित कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के माध्यम से होगा। कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 के अधीन शेड्यूल-7 में मद एवं व्यापक कार्य वर्ग निर्धारित है। इनके संबंध में समय-समय पर स्पष्टीकरण जारी करते हुये भारत सरकार ने उन कार्यों की उदार व्याख्या की है।

5. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रकोष्ठ-

मध्यप्रदेश में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व का नोडल विभाग वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग रहेगा तथा राज्य नोडल अधिकारी प्रबंध संचालक, एमपी ट्रायफेक रहेगा। कार्यालय एमपी ट्रायफेक में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रकोष्ठ गठित किया जावेगा, जिसका पता:

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रकोष्ठ,
मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि.,
सेडमेप भवन, 16-ए, अरेरा हिल्स,
भोपाल-462011 म.प्र.
दूरभाष- 0755-2575618
फैक्स 0755-2559973
ई-मेल facilitation@mptrifac.org
वेबसाईट www.invest.mp.gov.in

6. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) की मध्यप्रदेश में एक ही वेबसाईट होगी। इस वेबसाईट पर विभागवार एवं जिलावार शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित होंगे। विभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले प्रोजेक्ट्स की लागत कम से कम रूपये एक लाख होना चाहिये। सभी संबंधित विभाग उनके शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट्स की जानकारी CSR Cell एमपी ट्रायफेक को देंगे। कम्पनी इन शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट्स में से उसकी इच्छानुसार प्रोजेक्ट्स का चयन कर सकेंगे। कम्पनियों के ऊपर यह बंधन नहीं होगा कि वह इसी प्रोजेक्ट्स में से कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के कार्य करें। वह स्वतंत्र है कि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की गतिविधियां किस प्रकार और कैसे मध्यप्रदेश में संचालित करना चाहते हैं। परन्तु मध्यप्रदेश शासन के स्वामित्व की कम्पनियों के लिये यह बंधनकारी होगा कि वे वेबसाईट पर प्रदर्शित परियोजनाओं को ही सीएसआर अन्तर्गत ले सकेंगे। कम्पनियों द्वारा चयनित/स्वीकृत/क्रियान्वित प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी इस वेबसाईट पर प्रदर्शित होगी।

7. राज्य स्तरीय कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति-

कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों के क्रियान्वयन के फेसिलिटेशन हेतु प्रदेश स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:

a) प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	अध्यक्ष
b) प्रस्ताव संबंधी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य
c) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
d) प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
e) प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग	सदस्य
f) प्रबंध संचालक, एमपी ट्रायफेक	सदस्य सचिव

8. उक्त समिति आवश्यकतानुसार अन्य शासकीय विभागों/कम्पनी के अधिकारियों को भी बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी। समिति की बैठक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी। आवश्यकतानुसार इससे कम अवधि में भी बैठक आयोजित की जा सकती है। प्रदेश स्तरीय समिति के दायित्व निम्नानुसार होंगे:-

1. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा इस हेतु संधारित वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाने वाले कार्यों की सूची को स्वीकृत करना।
2. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व का प्रोत्साहन कार्य करना।
3. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किसी योजना/ गतिविधि के कार्यक्षेत्र में एक से अधिक जिले सम्मिलित होने पर योजना/गतिविधि के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. जिला स्तरीय समिति द्वारा मार्ग दर्शन देने हेतु भेजे गये विषयों पर निर्णय लेना।
5. राज्य के स्वामित्व की कंपनियों द्वारा सीएसआर अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करना।

जिला कलेक्टर की भूमिका:-

9. मैदानी स्तर पर कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

a.	कलेक्टर	अध्यक्ष
b.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य, सचिव
c.	प्रस्ताव संबंधी विभाग के जिला प्रमुख	सदस्य
d.	संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी	सदस्य
e.	कम्पनी का नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य

10. उक्त समिति आवश्यकतानुसार अन्य शासकीय विभागों/कम्पनी के अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेंगी। समिति द्वारा बैठकों में आवश्यकता पड़ने पर स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि/ विषय विशेषज्ञों के भी बैठक में आमंत्रित किया जायेगा। समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जायेगी।

- 1- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों हेतु योजनाओं की सूची (Shelf of Projects) तैयार करना। कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिये वेबसाइट में शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स के तहत जिले के विभिन्न विभागों के द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की राशि की मांग हेतु अलग-अलग प्रोजेक्ट्स तैयार कर मध्यप्रदेश ट्रायफेक को भेजना ।
- 2- समिति द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कार्यों को प्रोत्साहन करना।
- 3- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना।
- 4- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के तहत निर्मित परिसम्पत्तियों के संधारण की व्यवस्था करना।
- 5- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्रियान्वयन में आवश्यकता पड़ने पर राज्य समिति से मार्गदर्शन प्राप्त करना।
- 6- जिला स्तरीय समिति किसी एक कार्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधि के लिए यदि आवश्यक हो तो एक या अधिक कम्पनियों से प्राप्त राशि को पूल (Pool) भी कर सकेगी। किसी शासकीय योजना के तहत यदि राशि कम पड़ती है तो कार्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के अंतर्गत राशि को भी उपयोग करने हेतु समिति सक्षम होगी।

11. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कम्पनियों के द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए राशियों को गतिविधि संचालन एजेंसी को विमुक्त करने की प्रक्रिया पूर्व से ही घोषित होगी। राशि विमुक्त करने संबंधी प्रक्रिया में कम्पनी किसी भी तरीके से राशि व्यय करने के लिये स्वतंत्र होगी।

12. राज्य के सार्वजनिक उपक्रम प्रति वर्ष 30 नवम्बर तक अपने-अपने सीएसआर प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति में प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा पूर्व वर्ष की राशि से सीएसआर के कौन सी गतिविधियां स्वीकृत की गईं।

13. **कार्पोरेट गतिविधियों हेतु शासकीय भूमि का आवंटन:-**

- 1) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के तहत शासकीय भूमि का आवंटन कलेक्टर द्वारा संबंधित शासकीय विभाग के नाम किया जायेगा। शासकीय भूमि का आवंटन किसी व्यक्ति के लिए लाभान्वित गतिविधियों हेतु नहीं किया जायेगा।

2) निर्माण कार्य के लिए शासकीय भूमि की आवश्यकता पडने पर भूमि का आवंटन संबंधित शासकीय विभाग के नाम किया जायेगा जिसके लिए परिसंपत्ति निर्मित हो रही है। कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिये निजी भूमि की आवश्यकता पडने पर उक्त निजी भूमि संबंधित कम्पनी के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

14. कम्पनी के द्वारा स्वयं के निवेश से ऐसे कार्य किये जाते हैं जिनको बाद में संचालन हेतु शासन को सौंपे जाते हैं, तो ऐसे मामलों में कम्पनियों सीधे संबंधित स्वीकारकर्ता विभाग से स्वीकृति से पूर्व ही वेंटिंग करा दें, ताकि हैण्ड ओवर-टेक ओवर में देरी न हो।

15. यदि कम्पनी के द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों का हस्तांतरण शासकीय विभाग को किये जाने संबंधी आश्वासन शुरुआत में ही करारनामा में घोषित किया जाना है तो उन परिस्थितियों में उक्त निर्माण हेतु प्रशासन के द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जावेगी जो प्रारंभ में ही विभाग के नाम पर होगी।

16. निर्मित परिसंपत्तियों का रख-रखाव:-

जिला स्तर पर कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत क्रियान्वित गतिविधियों की जानकारी रखी जायेगी। कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत निर्मित परिसंपत्तियों के रख-रखाव की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी। जहां कम्पनी उक्त परिसंपत्ति को राज्य शासन के विभाग को सौंपना चाहे तो इस संबंध में एक करारनामा दोनों के मध्य होगा। ऐसे करारनामा के तहत विभागों को स्थानांतरित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन तथा स्टॉक पंजी में इन्द्राज संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा। ऐसी परिसंपत्तियों का संधारण का दायित्व संबंधित विभाग का होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार

(व्ही. एल. कान्ता राव)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 1/10/2017

पृ. क्र. एफ 20-8/2013/बी-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संस्कृति विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, वन विभाग, विधि और विधायी कार्य विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 3. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
 4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फिसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

() ()
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग